न्यायालय समाहर्त्ता, एवं जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा

उत्पाद अधिहरण वाद संख्या–313 / 2019

बिहार सरकार द्वारा वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा बनाम घुलटुन मुखिया एवं अन्य

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
25/2/2020	**आदेश** प्रस्तुत उत्पाद वाद वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा के पत्रांक–1129 / म0नि0को, दिनांक–16.11.2019 से प्राप्त बहेड़ा थाना कांड सं0–232 / 19 दिनांक 24.05.2019 में बिहार मद्य निषेद्य एवं उत्पाद अधिनियम–2016 के अन्तर्गत जब्त वाहन (1) मारूति ऑल्टो कार रजि0 नं0–DL9CV-0183 (2) मोटरसाईकिल रजि0 नं0–BR32F-6564 (3) मोटरसाईकिल रजि0 नं0–BR07S-1064 को राज्यसात् करने हेतु अनुशंसा के आलोक में प्रारंभ की गयी है। सामान्य अनुक्रम में विपक्षी का नाम / पता प्राप्त करते हुए वाहन स्वामी को कारण पृच्छा हेतु नोटिस निर्गत किया गया। तदालोक में विपक्षी स्वामी दिनेश साह वाहन सं0–BR32F-6564 तथा इन्द्र कुमार पंजियार वाहन सं0–BR07S-1064 की ओर से कारण पृच्छा प्राप्त है, जो अभिलेख पर संधारित है। वाहन स्वामी वाहन सं0–DL9CV-0183 को स्पीड पोस्ट से नोटिस निर्गत है, जो उपस्थित नहीं हुए हैं। विद्वान् विभागीय अधिवक्ता का कथन है कि पुलिस बल को मिली गुप्त सूचना के आधार पर मकरमपुर चौक पर पहुँचा तो वाहन चेकिंग के दौरान विदेश्वर स्थान की ओर से एक गाड़ी आ रही थी, जो पुलिस गाड़ी को देखकर ग्राम मकरमपुर ग्रामीण गली में गया, जिसका शक के आधार पर पीछा किया तो आगे गली का रास्ता अवरूद्ध रहने के कारण गाड़ी चालक एवं बैठे व्यक्ति गाड़ी छोड़कर अंधेरे में भाग गये, उसी क्रम में अधलोआम की तरफ से दो मोटरसाईकिल सवार जिसके पीछे एक–एक व्यक्ति बैठा था। दोनों मोटरसाईकिल में सीट पर एक–एक बोरा रखे हुए थे, जिसे शक के आधार पर रोकने का इशारा किया। दोनों मोटरसाईकिल को खड़ा कर सभी भागने लगे तो पुलिस बल द्वारा तीन व्यक्ति को पकड़ लिया गया तथा एक भाग गया। उक्त मारूति एवं मोटरसाईकिल का तलाशी हेतु स्थानीय गवाहों को खोजा गया परन्तु रात्रि में उपलब्ध नहीं रहने के कारण गश्ती दल में से दो बल को स्वतंत्र गवाह मानकर उनके समक्ष बारी–बारी से तलाशी लेना शुरू किया गया तो मारूति नं0–DL9CV-0183 के अन्दर पिछला डिक्की एवं बीच के सीट के नीचे 13 बोरा रखा पाया गया, जिसे खोलने पर प्रत्येक बोरा में तीन–तीन कार्टून सभी बोतल 300*ml* का जिसपर मामाजी एवं दिलवाला लिखा हुआ नेपाली देशी शराब पाया गया। दोनों मोटरसाईकिल पर रखे बोरा में तीन–तीन कार्टून 300*ml* वाला जिस पर मामाजी लिखा नेपाली देशी शराब पाया गया। पकड़ाये व्यक्ति के निशानदेही पर अन्य जगहों से भी शराब बरामद हुआ, जिसे विधिवत् जब्त किया गया। चूँकि बिहार राज्य में अवैध शराब का चौर्य व्यापार,	

परिवहन अथवा भंडारण दण्डनीय अपराध है। अतः जब्त वाहन को राज्यसात् होना चाहिये।

विपक्षी वाहन स्वामी दिनेश साह वाहन सं0–BR32F-6564 की ओर से विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि विपक्षी उक्त वाहन के स्वामी थे परन्तु उक्त वाहन उन्होंने छेदी महतो, पिता–चन्देश्वर महतो, ग्राम लहरपुर, थाना–बहेड़ा को शपथ पत्र बनाकर बेच दिया। उनके द्वारा वाहन का विधिवत् स्थानान्तरण नहीं कराया गया। विपक्षी का उक्त जब्त मोटरसाईकिल से कोई सरोकार नहीं है।

विपक्षी वाहन स्वामी वाहन सं0–BR07S-1064 के द्वारा नोटिस तामिला के क्रम में ही नोटिस एक प्रति प्राप्त करते हुए नोटिस की दूसरी प्रति पर लिखित रूप में अंकित किया गया है कि उन्होंने उक्त जब्त वाहन घुलटुन मुखिया के नाम शपथ पत्र बनाकर बेच दिया, शपथ पत्र की छायाप्रति भी दिया गया, जो संलग्न है।

उभयपक्ष को सुना एवं अभिलेख पर संधारित कागजातों का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त जब्त तीनों वाहन से भारी मात्रा में नेपाली शराब बरामद हुआ है। उक्त शराब उक्त वाहनों से बोरा में बन्द करके प्रत्येक बोरा में तीन–तीन कार्टून, सभी कार्टून में 30 पीस 300*ml* वाला नेपाली देशी शराब चौर्य व्यापार की नीयत से परिवहन कर ले जाया जा रहा था, जिसे पुलिस बल द्वारा मारूति ऑल्टो कार तथा मोटरसाईकिल से तलाशी के दौरान बरामद करते हुए विधिवत् जब्त किया गया। इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि बिहार मद्य निषेद्य एवं उत्पाद अधिनियम–2016 की धारा 56(घ) के तहत उक्त वाहनों का उपयोग अवैध शराब के परिवहन में किया जा रहा था। जबकि बिहार राज्य में अवैध शराब का चौर्य व्यापार, परिवहन तथा भंडारण प्रतिबंधित एवं दण्डनीय अपराध है।

उक्त जब्त दोनों मोटरसाईकिल के स्वामी का कथन है कि उन्होंने अपनी मोटरसाईकिल शपथ पत्र के माध्यम से बेच दिये हैं, जिसका छायाप्रति संलग्न किया गया है। परन्तु जिला परिवहन कार्यालय से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर वाहन अभी भी विपक्षी के नाम से है। किसी के द्वारा उक्त वाहन के लिए विधिवत् दावा भी नहीं किया गया। विपक्षी वाहन स्वामी मारूति ऑल्टो कार DL9CV-0183 को कारण पृच्छा हेतु स्पीड पोस्ट से नोटिस निर्गत है, परन्तु अभी तक उपस्थित नहीं हुए हैं।

माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी0डब्लू0जे0सी0 सं0–5049/2018 दिवाकर कुमार सिंह बनाम बिहार सरकार एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 22.03.18 के अनुपालन में उक्त नियामक तथ्यों से स्पष्ट है कि बिहार मद्य निषेद्य एवं उत्पाद अधिनियम–2016 की धारा 56(घ) के तहत संबंधित वाहन का उपयोग अवैध शराब के परिवहन में किया जा रहा था, जिसे राज्यसात् करने का प्रस्ताव समर्पित किया गया है। अभिलेख अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त अधिनियम की धारा 58(3) के अनुरूप संबंधित वाहन स्वामी को समुचित अवसर प्रदान किया गया है।

अतएव बहेड़ा थाना कांड सं0–232/19 दिनांक 24.05.2019 में जब्त वाहन दोनों मोटरसाईकिल (1) रजि0 नं0–BR32F-6564 (2) रजि0 नं0–BR07S-1064 को बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम–2016 की धारा 58(2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए धारा 56(घ) के तहत राज्यसात् करने का आदेश दिया जाता है।

यदि संबंधित पक्षकार इस आदेश से असंतुष्ट हैं, तो 90 दिनों के अन्दर अपीलीय प्राधिकार, आयुक्त उत्पाद, बिहार के न्यायालय में अपील दायर कर सकते हैं।

उक्त थाना कांड में जब्त वाहन मारूति ऑल्टो कार रजि0 नं0–DL9CV-0183 की कार्यवाही जारी रहेगी।

अभिलेख पुनः दिनांक 13/3/20 को रखें।

लेखापित एवं संशोधित।

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
दरभंगा

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
दरभंगा